RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-02
February -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

साक्षरता अभियान में प्राथमिक शिक्षा की समस्या एवं समाधान का अध्ययन

Kishori Kalpeshkumar Kevalsinh

Ph.D scholar

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 20 February 2019

Keywords
साक्षरता अभियान उच्च शिक्षा

ABSTRACT

शिक्षा मानव विकास की प्रक्रिया का प्रमुख आधार है। यह मानव शक्ति संवर्धन की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है उच्चतर जीवन स्तर एवं बेहतर गुणवत्ता। मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र (1948) में कहा गया था कि प्रत्येक व्यकित को शिक्षा का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त होगी। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा में कहा गया था कि 2015 तक सम्पूर्ण विश्व में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण हो। भारत जैसे देश में जहाँ 55 करोड़ जनसंख्या–संसाधन 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है, के लिए शिक्षा राष्ट्रीय विकास का वाहक बनसकती है। इस शोधपत्र के माध्यम से हम प्राथमिक शिक्षा में आ रही समस्याओ का उल्लेख कर उनके समाधानों के लिए किये गए प्रयासों का वर्णन किया है।

परिचय

विकास की शाश्वत व सार्वभौमिक अवधारणा के अनुरूप आधुनिक परिवेश व नूतन संदर्भो में मानव की मूलभूत आवश्यकताओं के अन्तर्गत शिक्षा को इस विकास श्रृंखला की एक महत्पवूर्ण कड़ी माना गया है। इस विकास श्रृंखला की यदि किसी भी कड़ी को ढील दी जायेगी तो विकास की यह श्रृंखला पल भर में धराशायी हो जायेगी। चाहे वह सर्व शिक्षा अभियान ही क्यों न हो। विकास की अवधारणा के अन्तर्गत सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वरीयता प्राप्त कर चुका है और मानव विकास के लिए एक अत्यावश्यक पूर्वयोग्यता रूप में माना जा चुका है। विकास के अधिकारों के अन्तर्गत शिक्षा बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित हो चुकी है। सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने को जोमेतियन, डकार एवं अन्य कई स्थलों पर ग्रहण किए

संयुक्त राष्ट्र रिजोल्यूशन में महत्व प्रदान किया गया है। पिछले पांच दशकों से प्रारम्भिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण और भारतीय संविधान के प्रावधान को पूर्ण करना शिक्षकों, नियोजनों, प्रशासकों, शिक्षाशास्त्रियों एवं सम्पूर्ण राष्ट्र के ध्यान को आकर्षित कर चुका है।

शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए हम कह सकते हैं कि–शिक्षा स्वतंत्र विचारों की वृद्धि हेतु, सामाजिक भावों के विस्तार हेतु, सम्प्रदायिकता के निवारण हेतु, जनतंत्रवाद तथा राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रसार हेतु तथा आधुनिक आविष्कारों 2 से लाभ उठाने की प्रवृति हेतु अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य को उदारचरित बनाती है जिससे वह समस्त संसार के प्रति मैत्री–भावना स्थापित करने में समर्थ होता है। बट्रेण्ड रसल ने शिक्षा को मनुष्य को पूर्ण बनाने का माध्यम माना है।

वर्तमान समय में शिक्षा को हम अनेकों माध्यम से प्राप्त व प्रदान कर रहे हैं उनमें से प्रमुख साधन – औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेत्तर साधन हैं। शिक्षा किसी भी प्रकार की हो वह मानव विकास का मूल आधार है। शिक्षा समाजरूपी शरीर का मेरूदण्ड है। शिक्षा के माध्यम से कोई भी समाज न केवल अपनी जीवन्ता व प्राणवत्ता बनाये रखता है वरन् सुख, समृद्धि एवं विकास के उन्नत लक्ष्यों की तरफ अग्रसर रहता है। प्राथमिक शिक्षा इस लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग का प्रथम सोपान है। शिक्षा की संरचना में प्राथमिक शिक्षा वह सोपान है जो अग्रिम सोपानों की नींव को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रारम्भिक अर्थात् औपचारिक रूप की शिक्षा का प्रारम्भ जिस स्तर से होता है, उस शिक्षा को प्राथमिक स्तर कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का योगदान सर्वोपरि माना जाता है क्योंकि इस शिक्षा का सम्बन्ध जन शिक्षा से है, यह व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित होती है।

शिक्षा के समग्र रूप पर विचार करें तो शिक्षा के तीन सोपान हैं जो आपस में एक दूसरे से कड़ी की तरह जुडे हुए हैं। इस सोपान की श्रृंखला में प्राथमिक शिक्षा यदि शिक्षा की आधारशिला है तो माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा में निरन्तरता बनाये हुए मध्यस्थ कड़ी का कार्य करती है एवं उच्च शिक्षा वह विशिष्ट शिक्षा है जो समाज या राष्ट्र के विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्तियों का निर्माण करती है। इस प्रकार शिक्षा का प्रत्येक सोपान अपने–अपने दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

भारत में उस अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्भिक प्रयासों में उक्त योगदान अंग्रेजों का भी रहा, इस दिशा में उठाया गया सर्वप्रथम प्रयास 1838 में मिशनरी विलियम एडम का था, जिन्होने गाँवों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की अनिवार्यता पर जोर दिया। इस दिशा में द्वितीय प्रयास कैप्टन विंगेट द्वारा किया गया, जो उस समय बम्बई के रेवेन्यू सर्वे कमिश्नर के पद पर थे। उन्होने अपने प्रस्ताव में कहा कि भूमि

RRIJM 2015, All Rights Reserved

राजस्व पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाए और उससे प्राप्त हुए धन से ग्रामीण बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की सुविधा दी जाए। सन् 1958 में पुनः गुजरात के एजूकेशन इंस्पेक्टर टी. सी. होप ने स्थानीय कर लगाते हुए, अनिवार्य शिक्षा के प्रबन्ध किये जाने की सिफारिश पर जोर दिया। सन् 1882–83 में जब हन्टर आयोग का गठन किया गया, उस समय दादा भाई नौरोजी द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की मांग उठाई गयी किन्तु ब्रिटिश सरकार का इस ओर ध्यान नही गया। उसी बीच भारत में राष्ट्रीय 6 आन्दोलन की भी लहर उठने लगी स्वयं भारतीयों ने प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली।

प्रशासनिक समस्याएँ

भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है इसके अर्न्तगत देश में शिक्षा व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार नीतियों का निर्माण करती है तथा प्रान्तीय सरकारों को शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में सलाह देती है। जहाँ तक प्राथमिक शिक्षा की बात है तो राज्य सरकारें इसकी व्यवस्था अलग–अलग ढंग से करती हैं, कुछ राज्य सरकारों ने इसे तो अपने हाथ में ले लिया है, तथा कुछ ने इसे स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया है। कई धार्मिक संस्थाएं भी प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर रहीं हैं विद्या भारती जैसी संस्थाएं देश भर में समान्तर शिक्षा की व्यवस्था कर रही हैं।

पाठ्यचर्या सम्बन्धी समस्याएँ

प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या सम्बन्धी समस्याएं भी हैं। वर्तमान शिक्षा में पाठ्यचर्या का बोझ भी बच्चों के लिए अत्यधिक है। इसके साथ–साथ देश में करीब 84 प्रतिशत विद्यालय बहुकक्षीय स्वरूप के हैं। यानि हर एक शिक्षक को एक समय में एक से अधिक कक्षाएँ सम्भालनी पड़ती हैं। वहीं मध्याह्न भोजन 12 योजना प्रारम्भ होने से कई पाठशालाएँ ठसाठस भरी हुई हैं। जहाँ शिक्षक छात्र अनुपात 1:60 या 80 या कहीं–कहीं 100 भी हैं वहाँ यह सम्भावनाएँ बहुत कम है कि शिक्षक सभी बच्चों द्वारा अपेक्षित स्तर तक सीखना सुनिश्चित करें और फिर पाठ्यक्रम को पूरा करा सकें।

शिक्षकों से सम्बन्धित समस्याएँ

प्राथमिक स्तर पर स्थानीय शिक्षकों का होना अनिवार्य है ऐसे शिक्षक पाठशाला में आ रहे बच्चों की पृष्ठभूमि, संस्कृति, आदतें व भाषा समझ सकते हैं। बच्चे भी स्थानीय शिक्षकों से बेहतर सम्बन्ध बना सकेंगे। प्रायः यह देखा जाता है कि दूर–दराज के इलाकों की शालाएं बहु–कक्षा शालाएं बन जाती हैं क्योंकि शिक्षक वहाँ जाना नही चाहते हैं जबकि मुख्य मार्ग या हाइवे के पास के विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हो जाते है। कई स्थानों पर विशेषतः पहाडी क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षक जाना नही चाहते हैं यदि मजबूरी हो तो कई घण्टों पैदल चलकर विद्यालय पहुँचते हैं वहाँ केवल औपचारिकता के बाद वापस आ जाते हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की बात को सोचा भी नही जा सकता है।

विद्यालयों का अस्वस्थ वातावरण

प्राथमिक विद्यालयों का अस्वस्थ वातावरण भी प्राथमिक शिक्षा की एक बडी समस्या है। प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर व अधिगम सामग्री आदि की सुविधाएं नही है। यहाँ बच्चों की रूचि का कोई ध्यान नही दिया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शिक्षक रूचि नही लेते हैं व बच्चों की उपस्थिति अनियमित रहती है। दूर से आने वाले बच्चे घर से विद्यालय तो जाते हैं लेकिन विद्यालय तक नहीं पहुंचते हैं, और रास्तें में ही रूक जाते हैं। झूठ बोलना, चोरी करना, सिगरेट पीना, नशा करना आदि सीखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के वातावरण को स्वस्थ व शैक्षिक बनाने के लिए सरकार प्रयास करती है। लेकिन कर्तव्यनिष्ठा व माता–पिता का सहयोग न मिलने के कारण आज भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में वह सुधार नहीं हो पा रहे हैं जो होने चाहिए थे। सरकार द्वारा इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए समय पर अनेकों प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनायें चलायी जा रही हैं जिससे इन समस्याओं से छुटकारा मिल सके व सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

सम्बंधित साहित्य का अध्ययन

बड़थ्वाल, वी. वी. एवं पुष्पा (2011) ने शिक्षा के मूल अधिकार अधिनियम 2009 का मूल्यांकन क्रियान्वयन के विशेष परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया और बताया कि प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तकनीकी एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता व जनसहभागिता को प्रोत्साहित करके बालकों को शिक्षित किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप निःशुल्क 6–14 वर्ष की शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्राप्ति का अधिकार अधिनिमय का क्रियान्वयन किया जाना सम्भव है।

माग्रे, सुनीता (2012) ने बच्चों के अधिकारों के प्रति शिक्षकों की शिक्षा का प्रभाव पर अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य था– बच्चों के अधिकार के प्रति शिक्षकों की जागरूकता का अध्ययन करना। बच्चों के अधिकार के प्रति शिक्षकों की साक्षरता का आयु, जाति, लिंग, शिक्षण–अनुभव के आधार पर अध्ययन करना। अध्ययन हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। न्यादर्श के रूप में मुम्बई प्रांत के माध्यमिक स्तर के 60 अध्यापकों कों यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया। प्रदत्तों के संकलन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया था। निष्कर्षतः पाया कि– लगभग सभी शिक्षक

बच्चों के अधिकार के प्रति सार्थकता स्तर पर जागरूक पाये गये थे।

पाटिल, जे. एम. (2013) ने प्राथमिक स्तर पर बीजा पुर में अकादमिक सुधार लाने में सर्व शिक्षा अभियान के हस्तक्षेप का अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य था–सर्व शिक्षा अभियान के माध्ययम से शैक्षिक प्रगति का पता लगाना। प्रदत्त संकलन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। 63 निष्कर्षतः पाया कि यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सभी बिन्दुओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विद्यालयों में भौतिक, मानवीय व शैक्षिक सुविधाओं का विकास हो रहा है । जनपद में पिछले एक दशक की तुलना में बहुत सुधार आया है।

कटौच, कुलदीप सिंह (2014) ने सर्व शिक्षा अभियान के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के मण्डी जनपद का सकल अध्ययन किया। अध्ययन का उद्देश्य था – सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण विन्दुओं का अध्ययन, सेवारत् अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संदर्भ में अध्यापकों का प्रशिक्षण ज्ञात करना व सर्व शिक्षा अभियान का शैक्षिक निहितार्थ। प्रदत्तों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार व अवलोकन विधि का प्रयोग किया। निष्कर्षतः पाया कि कार्यक्रम के माध्यम से जनपद में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। विद्यालयों में नामांकन दर में बढ़ोतरी हुई है। सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अध्ययापकों को नवीन शिक्षण विधियां, शिक्षण–अधिगम सामग्री आदि की जानकारी प्रदान की जाती है। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।

Sanjay Kumar Pal (2019) शिक्षा मानव केजीवन की आधार शिला है। मानव का विकास और उन्नति शिक्षा पर ही निर्भर है, शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। जन्म के समय बालक पशुत्व आचरण करता है उस समय वह अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करता है। शिक्षा उसकी इन प्रवृत्तियों को उचित मार्गदर्शन करके परिपक्वता प्रदान करती है। बालक एवं उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, उसके क्रियाकलापों को उचित और समाजोपयोगी बनाती है। शिक्षा उसमें रचनात्मक शक्ति का विकास करती है। यदि शिक्षा का अर्थ अधिक समझें तो यही है कि शिक्षा ही वह गुरु तथा दीपक है जो कि मनुष्य को सही पथ दिखाती है तथा जिसकी दिशा तथा रोशनी को अपनाकर खुद को समाजपयोगी बनाकर समाज को विकास की ओर अग्रसर करता है तो यह गलत न होगा। भारत जैसा एक लोकतांत्रिक तथा बहुजनसंख्या वाले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009) माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा पहुचाने के लिए एक महत्त्वपुर्ण कदम के तौर पर समझा जा रहा है। इस अधिनियम को सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चों को, बाल मजदूरों प्रवासी बच्चों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या फिर ऐसे बच्चों को–जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारको की वजह से वंचित बच्चों में शामिल है।प्रस्तुत शोध में हम प्राथमिक शिक्षा में आने वाले मुद्दों एवं भारत में जो शिक्षा का आधार है उसका अध्धयन करेंगे।

ऑपरेशन ब्लैक

बोर्ड इस योजना में ऑपरेशन से तात्पर्य युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर किसी कार्य को अतिशीध्र पूरा करना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य–सामग्री तथा शैक्षिक उपकरण जैसी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। शिक्षक उपकरण, कक्षा शिक्षण सामग्री, खेल सामग्री, प्राथमिक विज्ञान किट, लघु औजार किट, टू–इन–वन ऑडियो उपकरण, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें, विद्यालय की घण्टी, चॉक, झाड़न तथा कूडादान, वाद्य–यंत्र तबला, श्यामपट्ट, फर्नीचर, शिक्षक के पास आकस्मिक व्यय के लिए धन, प्रसाधन लडके एवं लड़कियों के लिए अलग–अलग, पेयजल आदि व्यवस्था निर्धारित की गयी।

- वर्तमान में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शेष सभी विद्यालयों विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के विद्यालयों में जारी रखा जाए।
- नामांकित बच्चों के आधार जहां आवश्यक हो उन प्राथमिक विद्यालयों में 3 अध्यापकों एवं 3 कमरों की व्यवस्था की जाए।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का विस्तार किया जाए।

मध्याह्न भोजन योजना

प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने तथा सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करने के लिए सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का सुभारम्भ किया। देश के कई भागों में गरीबी के कारण विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश नही हो पाता है। इस समस्या के कारण अधिकांश बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने उन्हें विद्यालय में बनाये रखने और उपस्थिति के साथ–साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया। केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को सर्व प्रथम देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया। वर्ष 1997–98 के अन्त तक देश के सभी ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। 2002 में इसे बढाकर सरकारी सहित अन्य सरकारी सहायता प्राप्त व स्थानीय निकायों के स्कूलों में कक्षा एक से कक्षा पाँच तक के बच्चों के लिए लागू किया गया। इस योजना के कार्यक्रम प्रत्येक स्कूल दिवस प्रति बालक 100 ग्राम खाद्यान्न तथा खाद्यान्न सामग्री को लाने जाने के लिए प्रति कुन्टल 50 रू0 की अनुदान सहायता दी जायेगी।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

बेसिक शिक्षा परियोजना

यह परियोजना उत्तर–प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु संचालित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनीकरण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। इसका मुख्य लक्ष्य सार्वजनीकरण के नामांकन, शिक्षा की अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। राज्य, जनपद एवं ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण व उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना भी इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)

सन् 1994 में डीपीईपी सात राज्यों के 42 जिलों में प्रारंभ किया गया था जो अब 18 राज्यों के 272 जिलों में फैल चुका है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मात्र 9 से 11 वर्ष के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, धारण एवं गुणवत्ता का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम को अधिक सफल बनाने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकरण की नीति पर अधिक बल दिया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व विभिन्न जनपदों में शैक्षिक स्तर पर सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के आधार पर शिक्षक–प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा पाठ्य–पुस्तक निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम स्तरीय चेतना एवं सामुदायिक सहभागिता पर अधिक बल दिया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं लौगिक समानता पर अधिक बल दिया गया है ताकि बालक तथा बालिकाओं का विकास समान रूप से हो सके।

जनशाला कार्यक्रम जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ की पांच एजेन्सियों – यू.एन.डी.पी., यूनीसेफ, यूनेस्को, आई.एल.ओ., यू.एन.एफ.पी.ए., का साझा प्रयास है तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु चल रहे प्रयासों को सहयोग देने हेतु चलाया गया। जनशाला कार्यक्रम समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को 19 विशेषकर बालिकाओं, वंचित समुदायों के बालकों, सीमान्त समूहों, अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों कामकाजी बालकों तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए और अधिक सरल एवं प्रभावपूर्ण बनाना है। जनशाला की एक विशेषता इसका ब्लॉक आधारित कार्यक्रम होना है जिसमें सामुदायिक सहभागिता और विकेन्द्रीकरण पर बल दिया गया है। ब्लॉकों का चयन कम महिला साक्षरता दर, बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की आबादी की उपस्थिति आदि के आधार पर किया गया। यह कार्यक्रम देश के 9 राज्यों के 30 जिलों के 139 ब्लॉकों में 103ण्13 करोड. रूपये के परियोजना व्यय के साथ चलाया जा रहा है। भारत के 9 राज्यों– कर्नाटक, आन्ध्र–प्रदेश, छत्तीसगढ मध्य–प्रदेश, झारखण्ड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं उत्तर–प्रदेश में 139 विकास खण्डों में चलाया गया।

ब्रिज कोर्स योजना शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रयासों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों कों जोड़ने के लिए ;जो बालक–बालिकाए द्ध पर्ढा क` मध्य में ही ड्रापआउट हो जाते हैं उनके लिए यह योजना चलाई गयी।

नवाचारी वैकल्पिक योजना अनांमाकित बालक–बालिकाओं को चिन्हित कर औपचारिक व वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने विद्यालय वातावरण सुधार, विद्यालयों में पीने के पानी व शौचालय सुविधा के साथ–साथ विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के माध्यम से जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कठिन व दुर्गम स्थानों में रहने वाले कामकाजी बच्चों तथा गंभीर विकलांग बच्चों को छोड़ कर अधिकांश बालक–बालिकाओं को इन विद्यालयों से जोड़ा जा चुका है।

अरबन स्लम

महानगरों में औद्योगीकरण एवं शहरीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक–आर्थिक कारणों से कुछ कच्ची बस्तियों के 6 से 14 आयु वर्ग के अनामांकित बच्चे शिक्षा से वंचित रहते है इन बालक–बालिकाओं को उनके अभिभावकों द्वारा प्लास्टिक/कचरा बीनने, होटलों में कार्य करने एवं मजदूरी आदि अन्य कार्यों में लगा देने के कारण यह बच्चे विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। शहरी कच्ची बस्तियों में रहने वाले अभिभावकों को प्रेरित कर इनके संरक्षितों को औपचारिक शिक्षा के साथ–साथ वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने हेतु तैयार कार्य योजना के परिप्रेक्ष्य में इन बालक–बालिकाओं का चिन्हीकरण ;सर्वेद्ध कराया गया तथा इनको लाभान्वित किया गया।

उपसंहार

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। यह मानव को सुसंस्कृत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास किया जाता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य सुसंस्कृत एव योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा किसी भी देश राष्ट्र व समाज का प्रतिविम्ब होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र–प्रगति हुई है, वर्ष 2001 की जनगणना के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं। 1951 में भारत वर्ष में साक्षरता दर 18.33

प्रतिशत थी जो 2001 में बढकर 64.84 प्रतिशत हो गयी थी तथा 2011 में साक्षरता दर पिछले दशक की तुलना में करीब 10 प्रतिशत बढी है। देश में वर्तमान समय में करीब 82.2 प्रतिशत पुरुष एवं 65.5 प्रतिशत महिलाए साक्षर है इस

दौरान महिला साक्षरता दर 11.8 प्रतिशत और पुरुष साक्षरता दर 6. 9 प्रतिशत की दर सें बढी है। 15वीं जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश की आबादी के करीब 74 प्रतिशत लोग लिखना–पढना जानते हैं जबकि पिछले दशक में यह आंकड़ा 64.83 प्रतिशत था किन्तु अभी भी साक्षरता के मामले में भारत, दक्षिण–अफ्रीका, ब्राजील, श्रीलंका और चीन से पीछे है। इसका सर्वप्रमुख कारण है निरक्षता। देश के सर्वाधिक जनसंख्या बहुल 4 राज्यों उत्तर–प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा आन्ध्र–प्रदेश अभी भी 70 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त नहीं कर सके हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि

1. चौधरी, लाखाराम (2013). "शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान". आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन.
2. भटनागर, सुरेश व अन्य (2008)." डवलपमेंट ऑफ एज्यूकेशन सिस्टम इन इण्डिया". मेरठ, आर लाल बुक डिपो.
3. दूबे, राम जी (2011). "शिक्षा का अधिकार". नई दिल्ली, शक्ति पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
4. शर्मा, आर.ए. (2008). "एज्यूकेशनल रिसर्च, डिजाइन ऑफ रिसर्च एण्ड रिपोर्ट राइटिंग". मेरठ, आर लाल बुक डिपो.
5. सिंह, सुनील क ुमार. (2014), "सामान्य ज्ञान". पटना, लूसेन्ट पब्लिकेशन.
6. ंसाद, आर. शिव (2012). "मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एज्यूकेशन एण्ड रोल ऑफ पंचायती राज. एड्यूसर्च. वॉल्यूम 3. नं. 1. अप्रैल 2012. पृष्ठ संख्या 144–147.
7. डॉ0 एस0पी0 गुप्ता : भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2011।
8. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2002) सर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक अभियान। नई दिल्ली : प्रारम्भिक शिक्षा एंव साक्षरता विभाग।
9. पाठक, पी. डी एंव त्यागी, जी. एस. डी. (2008) भारतीय शिक्षा के आयोग का ठारी कमीशन सहित। आगरा पब्लिकेशन आगरा।
10. Sanjay Kumar Pal, *भारत में प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित मुददों एवं शिक्षा के आधार का अध्धयन,* Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education [JASRAE] (Vol:16/ Issue: 5)

RRIJM 2015, All Rights Reserved